(175)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1135–दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.08.2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर अपील प्रकरण क्रमांक 1062/अ/6 वर्ष 2007–08

1– रामकुमार पुत्र स्व. श्री दौलत सिंह

2– गोविन्द पुत्र स्व. श्री दौलत सिंह

3– काशीबाई बेवा स्व. श्री दौलत सिंह
सभी निवासी ग्राम बमूरा भेड़ा तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

प्यारीबाई पुत्री स्व. श्री दौलत सिंह पत्नी जगन्नाथ

निवासी संजय कॉलोनी बण्डा तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता आवेदकगण
श्री एस.के. श्रीवास्तव अभिभाषक अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक \9 –12–2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 1062/अ/6 वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2– आवेदकगण / अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

3– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमूरा भेड़ा तहसील बण्डा में स्थित भूमि ख.नं. 472 रकवा 0.27, 475 रकवा 0.90 कुल किता 2 कुल रकवा 1.17 है0 तथा ख.नं. 86, 97, 133, 134, 473, 474, 519 कुल किता 7 कुल रकवा 9.48 है. भूमि दौलत सिंह एवं रतन सिंह के शामिल खाते की थी। भूमिस्वामी रतन सिंह लःबल्द फौत हुये उनके मृत होने के दो माह बाद ही दौलत सिंह की मृत्यु होने पर संशोधन पंजी कमांक 89 में पारित आदेश दिनांक 08.05.1990 द्वारा रतन सिंह के हिस्से 1/2 पर बसीयतनामा के आधार पर एवं दौलत सिंह के हिस्सा 1/2 पर बारिशाना नामांतरण आवेदकगण का किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने 16 वर्ष पश्चात अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के समक्ष प्रस्तुत की जो प्र.कं. 21–अ/6 वर्ष 04–05 पर दर्ज कर आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश दिनांक 08.02.2006 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया। तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के पश्चात प्र.कं. 52अ/6/05–06 दर्ज कर नायब तहसीलदार वृत बहरोल तहसील बण्डा ने अपने आदेश दिनांक 30.03.2007 द्वारा दौलत सिंह के हिस्सा 1/2 पर आवेदकगण के साथ अनावेदक का नाम उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के समक्ष अपील पेश की जो आदेश दिनांक 12.08.2008 द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.03.2007 में संशोधन करते हुये आवेदकगण के हितों को प्रभावित करते हुये

वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का 1/2 हिस्सा पर दर्ज किये जाने बावत एवं दौलत सिंह के अन्य वारिशों के नामदर्ज किये जाने का तहसील न्यायालय को निर्देश दिये। उक्त आदेश दिनांक 12.08.2008 के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त सागर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो आदेश दिनांक 03.08.2010 द्वारा निरस्त की गई। इसी आदेश से दुःखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

5– उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि दौलत सिंह एवं रतन सिंह के नाम हिस्सा 1/2, 1/2 पर दर्ज थी। आवेदकगण एवं अनावेदक के मध्य आपसी बंटवारा दौलत सिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। आवेदकगण को मौजा बमूरा भेड़ा की भूमि प्राप्त हुई थी जिस पर वह काबिज होकर कृषि करता चला आ रहा है। अनावेदक प्यारीबाई को बंटवारा में मौजा फतेहपुर की 12 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी जिसे दौलत सिंह व रतन सिंह ने विक्रय कर प्रतिफल 18,000/– रूपये अनावेदक प्यारीबाई को प्राप्त हुआ था। क्रेता ने स्वयं अपने कथन में कहा है अनावेदक प्यारीबाई ने एक इकरारनामा दिनांक 13.3.83 निष्पादित किया था जो प्रकरण में संलग्न है उक्त इकरारनामा में अनावेदक प्यारीबाई ने पिता दौलत सिंह की जायदाद का हिस्सा मौजा फतेहपुर की 12 एकड भूमि का विक्रय कर राशि प्राप्त किए जाने एवं पिता की शेष सम्पत्ति एवं भूमि पर किसी प्रकार का दावा न किए जाने का उल्लेख किया गया था। उक्त इकरारनामा के साथ दिनांक 15.3.83 को ग्रामवासियों ने एक पंचनामा भी

प्रमाणित किया था जिसमें इकरारनामा दिनांक 13.3.83 को निष्पादित किये जाने का लेख किया है। अनावेदक ने उक्त इकरारनामा के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया रतन सिंह एवं दौलत सिंह दोनों सगे भाई थे वाद भूमि के 1/2, 1/2 हिस्से के भूमिस्वामी थे रतन सिंह ने अपने हिस्सा 1/2 की दिनांक 25.3.86 को आवेदकगण के पक्ष में बसीयतनामा संपादित कर दी थी रतन सिंह लःबल्द फौत हुये उनके मृत होने के दो माह बाद ही दौलत सिंह की मृत्यु होने पर संशोधन पंजी कमांक 89 में पारित आदेश दिनांक 8.5.90 द्वारा रतन सिंह के हिस्सा 1/2 पर वसीयतनामा के आधार पर एवं दौलत सिंह के हिस्सा 1/2 पर वारिशाना नामांतरण आवेदकगण का किया गया। उक्त आदेश दिनांक 8.5.90 के विरूद्ध अनावेदक ने 16 वर्ष पश्चात अवधि बाह्य अपील पेश की दिन प्रतिदिन का कोई कारण नहीं बताया तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी कैसे हुई धारा –5 आवेदन में इस बावत कोई लेख नहीं किया था अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना फर्जी तामील के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आवेदकगण का नामांतरण आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में भूल की थी तहसील न्यायालय में प्रकरण प्राप्त होने पर आवेदकगण को जानकारी होने पर उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर साक्ष्य पेश की एवं साक्षियों के कथन कराये प्रस्तुत साक्ष्य एवं साक्षियों के कथन से प्रमाणित किया था कि अनावेदक को उसका हिस्सा प्राप्त हो गया था हिस्से में फतेहपुर की 12एकड़ भूमि विक्रय कर प्रतिफल में प्राप्त राशि 18,000/– रूपये एवं शादी में दहेज में सोने की 7 मुहरे एवं अन्य सामान दिया गया था अनावेदक ने अपना हिस्सा प्राप्त होने बावत एक

इकरारनामा दिनांक 13.3.83 निष्पादित किया था जिसको झूंठा/फर्जी होने बावत कोई खण्डन नहीं किया। रतन सिंह ने अपने हिस्सा 1/2 का आवेदकगण के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया था उक्त 1/2 हिस्सा पर अनावेदक ने एवं दौलत सिंह की शेष वारिश पुत्रियों ने अपने हिस्से बावत कोई आपत्ति नहीं की उसके बावजूद भी अधीनस्थ अपीली न्यायालय ने रतन सिंह के 1/2 हिस्सा को भी वादभूमि में सम्मिलित कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30.3.07 के विरूद्ध अनावेदक एवं दौलत सिंह की शेष वारिश पुत्रियों ने कोई अपील पेश नहीं की थी बल्कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की थी जो आदेश दिनांक 12.8.08 द्वारा एक और अपील आंशिक स्वीकार की जा रही है दूसरी और पूरी तरह से आवेदकगण के विरूद्ध ही आदेश पारित किया जा रहा है अर्थातअनावेदक एवं दौलत सिंह के अन्य वारिश पुत्रियों ने अपने हित में कोई मांग ही नहीं की थी बिना मांग के ही अनावेदक को सम्पूर्ण भूमि का 1/2 हिस्सा दे दिया जितना हिस्सा उसे पाने का भी अधिकार नहीं है उसे बाद भूमि का 1/2 हिस्सा किस नियम व कानून के अनुसार दिया गया इस बावत आदेश स्पष्ट नहीं है न ही अभिलेख से प्रमाणित होता है कि उसे 1/2 हिस्सा पाने का अधिकार है अपर आयुक्त सागर ने भी अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के आदेश की पुष्टि करने में भूल की है। ऐसी स्थिति में उक्त सभी आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.8.10 एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8.08 एवं नायब तहसीलदार बहरोल तहसील बण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2007

निरस्त किये जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर पंजी कमांक 89 में पारित आदेश दिनांक 8.5.90 बहाल किया जाता है। तहसीलदार बण्डा को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम बमूरा भेड़ा में स्थित वाद भूमि ख0.नं. 472, 475 किता 2 कुल रकवा 1.17 है0 एवं ख.नं. 86, 97, 133, 134, 473, 474, 519 कुल किता 7 कुल रकवा 9.48 है0 भूमि पर से अनावेदक प्यारीबाई का नाम काटा जाकर आवेदकगण के नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेख संशोधित किये जाये।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर